UPBD010020672026

न्यायालय–सेशन न्यायाधीश, बांदा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–929/2026

चन्द्रमा प्रसाद उर्फ दरोगा पुत्र बैजनाथ पटेल, निवासी–ग्राम निवैया पहाड़पुर मेजा रोड, थाना–मेजा, जिला–प्रयागराज।

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या–06/2026
धारा–3 आर0पी0 (यू0पी0 एक्ट) एवं
धारा–147 रेलवे एक्ट।
थाना–आर0पी0एफ0 नैनी चौकी शंकरगढ।

दिनांक 08.06.2026

1. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त चन्द्रमा प्रसाद उर्फ दरोगा की ओर से मु0अ0सं0 06/2026 धारा–3 आर0पी0 (यू0पी0 एक्ट) एवं धारा–147 रेलवे एक्ट, थाना–आर0पी0एफ0 नैनी में जरिये विद्वान अधिवक्ता जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र बैजनाथ के शपथपत्र से समर्थित है।

2. संक्षेप में फर्द बरामदगी के कथन इस प्रकार है कि दिनांक 21–05–2026 को उ०नि० गंभीर सिंह हमराह, स०उ०नि० फर्द राम दुलार यादव, कां० राजेश कुमार मु०अ०सं०–06/2026 अन्तर्गत धारा–3 आर०पी०यू०पी० एक्ट बनाम अज्ञात की सुरागरसी पतारसी में रवानासुदा होकर नैनी पोस्ट पहुंचे आरपीएफ पोस्ट नैनी कार्यालय से वरि० खण्ड अभियंता रेल पथ नैनी द्वारा जारी उक्त घटना से संबंधित मेमो प्राप्त किया, बाद नैनी पोस्ट से हे०कां० सन्तोष कुमार मिश्रा, हे0कां० जसवंती सिंह को हमराह कर मामलें में वाहन स्वामी अमरजीत पुत्र बृजलाल निवासी अकोड़ा अमिलियां कलां थाना मेजा जिला प्रयागराज उ०प्र० के निवास स्थान पहुंचे तो घर पर ताला लगा हुआ मिला, जिसके कारण नोटिस सर्व नहीं हो सकी। बाद वहां से रवाना होकर मामले की सुरागरसी पतारसी करते हुए आस–पास अकोड़ा, अमिलियां, उरूआ, लेहडी हुलका मेजा आदि गांवों में की गई, परन्तु कोई जानकारी नहीं हो सकी। बाद वापस नैनी आये। बाद दिनांक 22–05–2026 को उपरोक्त सभी स्टाफ के साथ रवाना होकर नैनी परिक्षेत्र करछना करमा बाजार घूरपुर गौहनियां में सुरागरसी पतारसी कर सभी जगह मुखबिर खास तैनात किये, परन्तु घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं हो सकी। बाद मामले की सुरागरसी पतारसी करते हुए समय करीबन 19:30 रीवा रोड से इरादतगंज जाने वाली अंडरपास के पास पहुंचें तो

Digitally signed by ALPANA SHARMA
Date: 2026.06.08 14:38:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मुखबिर खास मिला और बताया कि साहब जो व्यक्ति दिनांक 20–05–2026 को मदरहा स्टेशन के पास रेल लाइन गैस कटर से काटकर रेल लाइन टाटा मैजिक में लोड किये थे और पकड़े जाने के डर से गाड़ी वही छोड़कर भाग गये थे वही व्यक्ति ए.आर. कान्वेंन्ट इंग्लिस मिडिमय स्कूल इरादतगंज के बगल में बैठे हैं अगर जल्दी चलें तो पकड़े जा सकतें है। मुखबिर खास की बातों पर विश्वास कर आपस में राय मसाबिरा कर मुखबिर खास को साथ लेकर तुरंत अंडरपास से होते हुए ए.आर. कान्वेंन्ट इंग्लिस मिडिमय स्कूल के पास पहुंचें, जिसके आड़ से मुखबिर खास हाथ से इशारा कर दिखाया कि जो तीनों व्यक्ति बैठे है, वही उस दिन मदरहा स्टेशन के पास रेल लाइन गैस कटर से काटकर गाड़ी में लोड कर गाड़ी छोड़कर भाग गये थे। इतना बताकर मुखबिर खास आपसी दुश्मनी की डर से वहां से हट बढ़ गया। जिसके बाद तुरंत हमराहीगणों के साथ घेराबंदी कर हिकमत अमली से उक्त बैठे हुए व्यक्तियों के पास पहुचें तो वे सकपका गये। बाद उक्त तीनों व्यक्तियों से दिनांक मदरहा स्टेशन रेल लाइन किनारे से रेल लाइन को गैस कटर से काटकर गाड़ी में लोड करने के बाबत पूछताछ करने पर इधर उधर की बातों में उलझाने लगे। जिनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर बताये कि साहब हम लोग आपस में अपने क्षेत्र में रेकी कर चोरी करते हैं और चोरी के माल को अपनी गाड़ी यू०पी० 70एमटी 3980 टाटा मैजिक लोडर में लोड कर अपने ही कबाड़ की दुकान पर चोरी के माल का डिस्पोजल कर पैसे आपस में बांट लेते है। कुछ दिनों से गावों में चोरी का माल नहीं मिलने पर वे लोगों का एक साथी हौसला प्रसाद रेलवे क्षेत्र में रेकी कर अधिक पैसे कमाने की लालच देकर रेल लाइन काटकर चोरी करने का सुझाव दिया, तो उसके बहकावे में आकर वे लोग भी तैयार हो गये। दिनांक 19.05.2026 को हौसला प्रसाद के द्वारा आक्सीजन गैस व गैस कटर उपलब्ध कराने पर वे लोग मदरहा स्टेशन के आगे रेल लाइन किनारे पड़ी रेल लाइन को गैस कटर से काटकर रेल लाइन के 06 टुकड़ें अपनी गाड़ी टाटा मैजिक लोडर में लोड कर ले जा रहे थे कि रेलवे स्टेशन मदरहा की तरफ से टार्च जलाते हुए कुछ लोग आते दिखाई दिये तो वे लोग डर कर रेल लाइन से कुछ दूरी पर गाड़ी वही छोड़कर पकड़े जाने के डर से भाग गये। साहब उन लोगों से अधिक पैसे कमाने के लालच में इस तरह की गलती हो गयी। माफ करें। बाद उक्त व्यक्तियों से हौसला प्रसाद के बारे में पूछने पर उसका पूरा नाम हौसला प्रसाद पुत्र बैजनाथ उम्र 35 वर्ष निवासी निबैया पहाड़पुर मेजा रोड थाना मेजा जिला प्रयागराज उ०प्र० बताये। बाद तीनों आरोपियों को उनके अपराध, अवैध रूप से रेल लाइन पर आकर रेल सम्पत्ति चोरी करने के जुर्म में आर०पी०(यू०पी०) एक्ट की धारा 03 व रेलवे एक्ट की धारा–147 से अवगत कराकर समय 20.20 बजे हिरासत आर०पी०एफ० लेकर नाम पता पूछा व जामा तलाशी अमल में लायी गई जो इस प्रकार हैं। 1– अमरजीत उर्फ दुर्गा पुत्र बृजलाल उम्र 28 वर्ष

निवासी अकोड़ा अमिलियां कलां थाना मेजा जिला प्रयागराज उ०प्र० के पास कोई सह बरामद नहीं हुई। 2—बृजलाल पुत्र स्व पुरुषोत्तम उम्र 50 निवासी पता उपरोक्त के पास 150 रूपया बरामद हुआ जिसके अनुरोध पर उसी के पास छोड़ा गया। 3—चन्द्रमा प्रसाद उर्फ दरोगा पुत्र बैजनाथ उम्र 30 वर्ष निवासी निबैया पहाड़पुर मेजा रोड थाना मेजा जिला प्रयागराज उ०प्र० के पास नगद 70 रूपया बरामद हुआ, जिसके अनुरोध पर उसी के पास छोड़ा गया। दौरान गिरफ्तारी मानवाधिकार आयोग एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का बाखूबी पालन किया जा रहा है। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्तगणों के बताये पते पर दी जायेगी। फर्द निशानदेही की एक प्रति संयुक्त रूप से अमरजीत उर्फ दुर्गा को देकर पावति के अलामात बनवाये जा रहे हैं।

3. प्रार्थी／अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में आधार लिये गये है कि वह उपरोक्त प्रकरण में निर्दोष है तथा झूंठा रंजिशन फंसाया गया है। उसका माननीय न्यायालय में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उक्त प्रकरण से संबंधित कोई भी प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद अथवा अन्य किसी भी अन्य न्यायालय में लम्बित नहीं है। चोरी की घटना दिनांक 19.05.2026 की रात्रि की बताई गयी है। उसके कब्जे से कोई भी रेल सम्पत्ति रेल लाइन बरामद नहीं हुई है। आर0पी0एफ0 नैनी चौकी शंकरगढ़ द्वारा मदरहा रेलवे स्टेशन के कि0मी0 1328／24 के पास 80, 100 मीटर दूर खेत से वाहन संख्या जी0 70एम0टी0 3980 लोडर मैजिक से 06 रेल लाइन के टुकड़े ऑक्सीजन गैस सिलेण्डर एक अदद 5 किलो ग्राम गैस सिलेण्डर बदामद होना बताया गया है। आर0पी0एफ0 द्वारा बरामद रेल सम्पत्ति 06 रेल लाइन की अलग—अलग लम्बाई नहीं बताई गयी है और न ही बरामद किसी भी सामान को रिमाण्ड के समय रेलवे मजि0 के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उसे न ही मौके पर पकड़ा गया है और न ही मौके से उसके पास से कोई रेल सम्पत्ति बरामद की गयी है। गिरफ्तारी दिनांक 22.05.2026 को समय 20.20 बजे ए0आर0 कान्वेन्ट इंगलिश मीडियम स्कूल के पास इरादतगंज से बताई गयी है, जो असत्य है, फर्जी गिरफ्तारी व बरामदगी दिखाई है। उसको झूंठे बयानों के आधार पर दिनांक 22.05.2026 को उसके घर से पकड़कर लाया गया है। रेल सम्पत्ति बरामदगी व उसकी गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया है तथा सादे कागजो में हस्ताक्षर कराकर झूंठे बयान लिख लिये गये है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आज्ञापक निर्देशों का अनुपालन गिरफ्तारी व बरामदगी के समय नहीं किया गया है। वह दिनांक 23.05.2026 से जिला कारागार, बांदा में निरूद्व है। पर्याप्त जमानते देने को तैयार है। प्रार्थी／अभियुक्त द्वारा ताफैसला मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया है।

4. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त होने योग्य कहा है।

5. जमानत प्रार्थनापत्र पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा आदेशार्थ पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त चन्द्रमा प्रसाद उर्फ दरोगा पर सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर मिलकर 06 अदद रेल लाइन चोरी करने तथा उसकी बरामदगी का आरोप है। कथित घटना तथा फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी दर्शित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप 7 वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय है। अभियुक्त दिनांक 22.05.2026 से जिला कारागार, बांदा में निरूद्ध है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों में मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना जमानत में दर्शित आधार पर्याप्त एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

7. प्रार्थी/अभियुक्त चन्द्रमा प्रसाद उर्फ दरोगा का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 बीस हजार रूपये का निजी बंधपत्र तथा इसी धनराशि की एक प्रतिभू, विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर बाद सत्यापन उसे निम्नलिखित शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है :–

1. अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित या दबाव नहीं डालेगा।
2. अभियुक्त अभियोजन साक्ष्यों को नष्ट नहीं करेंगा।
3. अभियुक्त दौरान विचारण प्रत्येक तिथि पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगा।
4. अभियुक्त अपना तथा अपने जमानतदार का मोबाइल नम्बर न्यायालय में उपलब्ध करायेगा तथा उनके पते का नियमानुसार सत्यापन कराया जावे।
5. अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होगा।

(अल्पना)
दिनांकः 08.06.2026
सेशन न्यायाधीश, बांदा।
(जे0ओ0कोड नं0–यू.पी.05748)